## PUBLIC NOTICE

It has been brought to the notice of the Department of Women and Child Development (WCD), GNCTD, through media reports and social media posts that a political party is claiming to disburse Rs. 2100 per month under Mukhyamantri Mahila Samman Yojana to women in Delhi. It is clarified that no such scheme has been notified by Government of Delhi.

As, if and when such a scheme is notified, the Department of Women and Child Development (WCD), GNCTD, will launch a digital portal for eligible individuals to submit their applications online as per the approved guidelines. The eligibility conditions and modalities will be clearly notified by the department as and when it happens. Details of all WCD Department Schemes are available only on the website of the Department.

It is emphasized that since no such scheme exists, the question of physical forms / applications for the registration under this non-existent scheme does not arise.

Any private individual/ political party collecting such physical forms / applications or collecting information from applicants under the name of the Mukhyamantri Mahila Samman Yojana is fraudulent and without any authority.

Citizens are cautioned that sharing personal details, such as bank account information, voter ID card, phone numbers, residential address, or any other sensitive information in the name of this scheme, are at a collateral risk of putting out information in public domain that may lead to crime / cybercrime / banking fraud, targeting them and they will be entirely at their own risk and will be liable for any such consequences.

THE GENERAL PUBLIC OF DELHI ARE HEREBY ADVISED AND REQUESTED NOT TO ENTERTAIN SUCH PROMISES OF A NON-EXISTENT SCHEME, AS THESE ARE MISLEADING AND WITHOUT ANY AUTHORITY. THE GENERAL PUBLIC IS ALSO ADVISED TO EXERCISE ABUNDANT CAUTION TO NOT GIVE OUT PERSONAL DETAILS TO UNAUTHORIZED PERSONNEL TO AVOID ANY FRAUD OR BREACH OF DATA IN THE FUTURE.

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY LIABILITIES OR FRAUDS ARISING OUT OF SUCH UNSCRUPULOUS ACTIVITIES.

Joint Director Department of WCD Goct. of NCT of Delhi

Government of NCT of Delhi Maharana Pratap ISBT, Kashmere Gata Delhi-110006

## सार्वजनिक सूचना

महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये देने का दावा कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है।

यदि और जब ऐसी कोई योजना अधिसूचित की जाती है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा, ताकि वे अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकें। पात्रता की शर्तें और कार्यविधि विभाग द्वारा समय-समय पर स्पष्ट रूप से अधिसूचित की जाएंगी। विभाग की सभी योजनाओं के विवरण केवल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन के स्वीकार का सवाल ही नहीं उठता।

कोई भी निजी ट्यक्ति/राजनीतिक पार्टी जो इस योजना के नाम पर फॉर्म/आवेदन एकत्रित कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है।

नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाता जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा करना सार्वजिनक डोमेन में जानकारी लीक होने का खतरा पैदा कर सकता है, जो अपराध/साइबर अपराध/बैंकिंग धोखाधड़ी का कारण बन सकता है। इस स्थिति में नागरिक पूरी तरह से अपने जोखिम पर होंगे और उन्हें किसी भी तरह के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

दिल्ली के सामान्य नागरिकों से यह सलाह दी जाती है कि वे इस गैर-मौजूद योजना के झूठे वादों को न मानें, क्योंकि ये भ्रामक हैं और बिना किसी प्राधिकरण के हैं। सामान्य जनता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे किसी भी अनिधकृत व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण देने में अत्यधिक सतर्कता बरतें, ताकि भविष्य में किसी भी धोखाधड़ी या डेटा उल्लंघन से बचा जा सके।

महिला एवं बाल विकास विभाग किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो ऐसी अनैतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो।

> संयुक्त निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार

Joint Director, DWCD
Government of NCT of Delhi
Maharana Pratap ISBT, Kashmere Gata
Delhi-110006